Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 183-2016/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2016 (KARTIKA 19, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 नवम्बर, 2016

संख्या 13/9/2016–6टी0(1).— मोटरयान अधिनियम, 1988(1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) की धारा 65 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) तथा धारा 211 के साथ पठित धारा 96 की उपधारा (2) के खण्ड(xxviii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 13/1/2015–3टी(I), दिनांक 19 अक्तूबर, 2016 तथा 13/9/2016–6टी(1), दिनांक 19 अक्तूबर, 2016 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मोटरयान नियम, 1993, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा मोटरयान (संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 33 क में,

(i) चतुर्थ परन्तुक में, अंत में विद्यमान "l" चिह्न के स्थान पर ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा

(ii) परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि किसी भी श्रृंखला में, साधारण सम या विषम पंजीकरण चिह्न रखने वाला वाहन स्वामी, पंजीकरण चिह्न के विकल्प के बिना पंजीकरण चिह्न को सम या विषम चिह्न में बदलना चाहता है, तो वाहन स्वामी को केवल दो हजार रूपये की राशि का भुगतान करना होगा :

परन्तु यह और कि किसी भी श्रृंखला में, साधारण सम या विषम पंजीकरण चिह्न रखने वाला वाहन स्वामी, अपनी पसन्द के पंजीकरण चिह्न को सम या विषम चिह्न में बदलना चाहता है, तो वाहन स्वामी को चालू श्रृंखला में बिना बारी की श्रेणी के अधीन प्रभार्य शुल्क के अतिरिक्त दो हजार रूपये की राशि का भुगतान करना होगा:

परन्तु यह और कि साधारण चिह्न रखने वाला वाहन स्वामी, किसी भी श्रृंखला में, अधिमान्य पंजीकरण चिह्न रखना चाहता है, तो वाहन स्वामी को अधिमान्य पंजीकरण चिह्न के लिए नियत विहित शुल्क के अतिरिक्त दो हजार रूपये की राशि का भुगतान करना होगा :

परन्तु यह और कि अधिमान्य पंजीकरण चिह्न रखने वाला वाहन स्वामी, उसी श्रेणी के विकल्प के बिना पंजीकरण चिह्न बदलना चाहता है, तो वाहन स्वामी को केवल दो हजार रूपये की राशि का भुगतान करना होगा :

परन्तु यह और कि अधिमान्य पंजीकरण चिह्न रखने वाला वाहन स्वामी, किसी भी श्रृंखला में, अपनी पसन्द का दूसरा अधिमान्य पंजीकरण चिह्न बदलना चाहता है, तो वाहन स्वामी को बिना बारी की श्रेणी के अधीन प्रभार्य शुल्क के अतिरिक्त दो हजार रुपये की राशि का भुगतान करना होगा। तथापि, अधिक शुल्क रखने वाले अधिमान्य पंजीकरण चिह्न की पसन्द की दशा में वाहन स्वामी को फीस के अन्तर का भी भुगतान करना होगा :

परन्तु यह और कि यदि अधिमान्य पंजीकरण चिह्न रखने वाले वाहन स्वामी का वाहन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है और उपयोग करने योग्य नहीं रहता है, तो सम्बन्धित पंजीकरण प्राधिकारी वाहन स्वामी के अनुरोध पर घटना की तिथि से छह मास के लिए, उस समय लागू नियमो के अनुसार, पंजीकरण चिह्न को वाहन स्वामी के वाहन पर उसे लगवाने के लिए रख सकता है। तथापि, छह मास की अवधि की समाप्ति के बाद, वाहन स्वामी उस अधिमान्य चिह्न को रखने के लिए कोई भी अधिकार नहीं रखेगा''।

3. उक्त नियमों में, नियम 86 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"86क. सार्वजनिक सेवा वाहनों द्वारा यात्रा के लिए ग्राहकों को लुभाने के लिए अभिकर्ता या कन्वेसर के रूप में संचालक या आई.टी. आधारित यात्री एग्रीगेटर के संचालन के अनुज्ञापन तथा विनियमन

(1) अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु आवेदन राज्य परिवहन प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को प्ररूप ह0प0 संख्या 38क में लिखित में करेगा।

(2) कोई भी संचालक या आई.टी. आधारित यात्री एग्रीगेटर राज्य में पंजीकृत वाहन स्वामियों के लिए अभिकर्ता या कन्वेसर के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक ऐसे संचालक या एग्रीगेटर ने राज्य परिवहन प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों में यथा वर्णित निबन्धनों तथा शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन प्ररूप ह0प0 संख्या 38क–1 में अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं कर लेता है।

(3) उपनियम (1) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति जारी अथवा नवीनीकरण की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी।

(4) अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु शुल्क तथा ऐसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु शुल्क क्रमशः पांच हजार रुपये तथा दो हजार पांच सौ रुपये होगा। नवीनीकरण की देरी की दशा में, एक सौ रुपये प्रतिदिन अधिकतम दो हजार पांच सौ रुपये के अध्यधीन जुर्माना भुगतान योग्य होगा।

(5) संचालक या एग्रीगेटर दो वर्षों की अवधि के लिए वैध, परिवहन आयुक्त, हरियाणा के पक्ष में बैंक गारंटी देगा तथा उसके समाप्त होने से पहले प्रति वर्ष नवीनीकरण करवायेगा। यदि संचालक या एग्रीगेटर एक सौ वाहनों, पांच सौ वाहनों तथा पांच सौ वाहनों से अधिक को काम पर लगाता है तो ऐसी बैक गारंटी क्रमशः दस लाख रूपये, पचास लाख रूपये तथा एक करोड़ रूपये की राशि की होगी।

(6) राज्य परिवहन प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, कारणों को अभिलिखित करते हुए, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों या निर्देशों के ऐसे निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार अनुज्ञप्ति को जारी करने या नवीनीकरण करने से इन्कार कर सकता है।

(7) राज्य परिवहन प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी कारणों को अभिलिखित करते हुए मार्ग जिस पर या क्षेत्र जिसमें या प्रयोजन जिसके लिए वाहन का प्रयोग किया जा सकता है से संबंधित परमिट की किसी भी भार्त की उल्लंघना में प्रयुक्त अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकता है तथा दो हजार रूपये के जुर्माने से दंडनीय होगा तथा पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में कारावास जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है किन्तु तीन मास से कम नहीं होगा या जुर्माना जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है किन्तु पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा या दोनों से दंडनीय होगा तथा किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए पन्द्रह दिन का नोटिस तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद उप नियम (5) के अधीन प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा।

(8) अनुज्ञप्ति के निलम्बन, रद्द या नवीनीकरण न होने पर वह राज्य परिवहन प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी जिसने अनुज्ञप्ति को जारी किया हो को तुरन्त सुपुर्द करेगा।

(9) एग्रीगेटर वैध वाहन परमिट तथा चालन अनुज्ञप्ति रखने वाले चालक के साथ सम्बन्ध बनाने के लिए सभी उपयुक्त उपाय अपनाने/करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(10) राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक सेवा वाहनों द्वारा यात्रा करने के लिए ग्राहकों को लुभाने हेतु किसी अभिकर्ता या कन्वेसर के रूप में संचालक या आई.टी. आधारित यात्री एग्रीगेटर के संचालन को विनियमित करने के लिए जारी निर्देश या दिशा निर्देश अनुज्ञप्त संचालक या आई.टी. आधारित यात्री एग्रीगेटर पर बाध्यकारी होंगे। संचालक या आई.टी. आधारित यात्री एग्रीगेटर तथा चालक या वाहन स्वामी, चालक द्वारा यात्रियों का वहन करते समय किसी कदाचार/आपराधिक कार्य की दशा में, आपराधिक कार्रवाई के लिए समान रूप से दायी होंगे।

व्याख्या.– इस नियम के प्रयोजन के लिए ''एग्रीगेटर से अभिप्राय है, वैध चालन अनुज्ञप्ति रखने वाले किसी कान्ट्रेक्ट केरिज के वैध परमिट धारक या उसके चालक से ऑनलाइन/डिजिटल सम्पर्क करने के लिए यात्री को कन्वेसिंग या लुभाने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन कोई पंजीकृत कम्पनी तथा हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का हरियाणा अधिनियम 1), के अधीन पंजीकृत फर्म या सोसाइटी तथा इसमें परिवहन सेवा देने वाला भी शामिल है यदि वह परिवहन के साधन के रूप में अपने स्वयं के ब्राण्ड को प्रयोग करता है तथा अपने प्लेटफार्म पर इसे उपलब्ध करवाता है।''

4. उक्त नियमों में, प्ररूप ह0प0 संख्या 38 के बाद, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्.–

————————————

"प्ररूप ह0प0 संख्या 38क

[देखिए नियम 86क(1)]

संचालक या आई.टी. आधारित यात्री एग्रीगेटर के रूप में संचालन के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र का प्ररूप

सेवा में,

सक्षम प्राधिकारी,
परिवहन विभाग,
हरियाणा ।

1. आवेदक का पूरा नाम(यदि फर्म/कम्पनी है, पंजीकरण/भागीदार/स्वामी का विवरण प्रस्तुत किया जाना है)_____

_____

2. आवेदक का पूरा पता सम्पर्क विवरण सहित_____
3. आवेदक के कार्यालय प्रभारी का विवरण सम्पर्क संख्या सहित _____
4. आवेदक का वेबसाईट पता_____
5. सार्वजनिक सेवा वाहनों के स्वामियों द्वारा दिए गए सहमति पत्रों का विवरण जो कि आवेदक द्वारा संचालित सेवाओं के अधीन चलने वाले(वाहन संख्या, परमिट संख्या, परमिट धारक का नाम तथा पते की सूची का ब्यौरा संलग्न किया जाना है)_____
6. आवेदक के नियंत्रणाधीन धारित किसी परमिट का विवरण_____
7. आवेदक के चरित्र के बारे में प्रमाण_____
8. राज्य परिवहन प्राधिकारी के पक्ष में बैंक गारंटी का विवरण (प्रति संलग्न की जानी है)_____
9. आवेदक द्वारा कारोबार के लिए रखे गए या रखे जाने वाले प्रस्तावित कर्मचारियों की संख्या_____

_____

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप ह0प0 संख्या 38क–1

[देखिए नियम 86क(3)]

संचालक या आई.टी. आधारित यात्री एग्रीगेटर के लिए अनुज्ञप्ति का प्ररूप

अनुज्ञप्ति क्रमांक

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम_____
2. अनुज्ञप्तिधारी का पता_____
3. कार्यालय का पता _____
4. जारी करने की तिथि _____
5. वैधता
6. अनुज्ञप्तिधारी को रखने की अनुमति दी जाती है, कर्मचारियों की संख्या_____
7. अनुज्ञप्तिधारी हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 के नियम 86क के निबंधनों के अनुसार जारी दिशा निर्देशों में दिए गए परिचालनात्मक विवरणों का पालना करेगा।
8. अनुज्ञप्तिधारी को उक्त दिशा–निर्देशों में यथा अधिकथित शर्तों की अनुपालना में राज्य में संचालक या आई.टी. आधारित यात्री एग्रीगेटर के रूप में संचालन की अनुमति है।
9. अनुज्ञप्तिधारी मोटर यान अधिनियम, 1988(1988 का 59) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000(2000 का 21) के प्रावधानों का भी पालन करेगा।

सक्षम प्राधिकारी,
परिवहन विभाग, हरियाणा।"।

दिनांकः

एस० एस० ढिल्लों,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 10th November, 2016

No. 13/9/2016-6T(1).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 65 and clause (xxviii) of Sub-section (2) of Section 96, read with Section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) and with reference to Haryana Government, Transport Department, Notification No. 13/1/2015-3T(I) dated the 19th October, 2016 and 13/09/2016-6T(1) dated the 19th October, 2016, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 namely:-

1. These rules may be called Haryana Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2016.

2. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 (hereinafter called the said rules), in rule 33A-,

(i) in the explanation to fourth proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) after the explanation, the following provisos shall be added, namely:-

"Provided further that a vehicle owner having ordinary odd or even mark, in any series, wants to change the registration mark in even or odd mark without choice of registration mark then the vehicle owner shall have to pay a sum of Rs.2000/- only:

Provided further that a vehicle owner having odd or even mark, in any series, wants to change the registration mark in even or odd mark of his choice then the vehicle owner shall have to pay a sum of Rs.2000/- in addition to the fee chargeable under the out of turn category:

Provided further that a vehicle owner having ordinary mark, wants to have preferential registration mark, in any series, then the vehicle owner shall have to pay a sum of Rs.2000/- in addition to the prescribed fee fixed for the preferential registration mark:

Provided further that a vehicle owner having preferential registration mark, wants to change to registration mark without choice of the same category then the vehicle owner shall have to pay a sum of Rs.2000/- only:

Provided further that a vehicle owner having preferential registration mark, wants to change to another preferential registration mark of his choice, in any series, then the vehicle owner shall have to pay a sum of Rs.2000/- in addition to the fee chargeable under the out of turn category. However, in case of choice of preferential registration mark having higher fee then a vehicle owner shall have to pay the difference of fee also:

Provided further that in case, the vehicle of a vehicle owner having preferential registration mark gets completely damaged and is rendered in capable of being used, then the concerned Registering Authority may on the request of the vehicle owner retain the registration mark for six months from the date of the incident for affixation of the same on vehicle of the owner as per the rules in force at that time. However, after the expiry of 6 months the vehicle owner shall have no claim for retaining the preferential registration mark".

3. In the said rules, after rule 86, the following rule shall be inserted, namely :−

"86A. **Licencing and regulation of conduct of operator or IT-based passenger aggregator as an agent or canvasser for soliciting customers for travel by public service vehicles.−** (1) An application for issuing of licence shall be made in writing in Form HR No. 38A to the State Transport Authority or any other authority authorized in this behalf.

(2) No operator or IT-based passenger aggregator shall act as an agent or canvasser for the registered vehicle owners in the State unless such operator or Aggregator has obtained a licence in Form HR No. 38A-I of these rules from the State Transport Authority or any other authority authorized in this behalf, subject to fulfillment of the terms and conditions as mentioned in the guidelines/instructions issued by the State Government from time to time.

(3) A licence issued under sub-rule (1) shall be valid for a period of two years from the date of issue or renewal.

(4) The fee for granting licence and the fee for renewal of such licence shall be five thousand rupees and two thousand five hundred rupees respectively. In case of delay in renewal, a fine of one hundred rupees per day shall be payable subject to the maximum of two thousand- five hundred rupees.

(5) The Aggregator shall provide a bank guarantee in favour of the Transport Commissioner, Haryana valid for a period of two years and shall be renewed annually before expiry thereof. Such bank guarantee shall be provided for an amount of Rs.10,00,000/- (Ten lacs rupees), Rs.50,00,000/- (Fifty Lacs rupees) and Rs.1,00,00,000/-

(One Crore rupees) if the operator or aggregator proposes to engage up to one hundred vehicles, five hundred vehicles and more than five hundred vehicles respectively.

(6) The State Transport Authority or an authority authorized in this behalf, may, for reasons to be recorded in writing and after affording an opportunity of being heard to the aggregator may decline to issue or renew a licence as per the terms and conditions of the guidelines or directions issued by the State Government in this behalf, from time to time.

(7) The State Transport Authority or an authority authorized in this behalf, may, for reasons to be recorded in writing, suspend a licence used in contravention of any condition of a permit relating to the route on which or the area in which or the purpose for which the vehicle may be used and shall be punishable with a fine of two thousand rupees and in case of subsequent offence, shall be punishable with imprisonment which may extend to one year but shall not be less than three months or with fine which may extend to ten thousand rupees but shall not be less than five thousand rupees or with both and for any subsequent offence forfeiture of Bank Guarantee submitted under sub-rule (5) after giving fifteen days notice and an opportunity of being heard.

(8) On a licence being suspended, cancelled, or not renewed, it shall be surrendered forthwith to the State Transport Authority or an authority authorized in this behalf, which issued the licence.

(9) The Aggregator shall be responsible to adopt/make all suitable measures in order to have connectivity with the driver of the vehicle having valid vehicle permit and driving licence.

(10) The directions or guidelines issued by the State Transport Authority for regulating the conduct of operator or IT-based Passenger Aggregator as an agent or canvasser for soliciting customers for travel by public service vehicles, shall be binding on the licensed operator or IT-based Passenger Aggregator. The operator or IT-based Passenger Aggregator and driver or owner of the vehicle shall be equally liable for criminal action in case of misconduct/criminal act by the driver while transporting the passengers.

Explanation.− For the purpose of this rule, "Aggregator means a company registered under the Companies Act, 2013(Central Act, 18 of 2013) and firm/society registered under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012(1 of 2012) for canvassing or soliciting a passenger to online/digitally connect with the valid permit holder of any contract carriage or his driver, having valid driving licence, and includes a transportation service provider if it applies its own brand as a means of transport and it seeks to make available on its platform.".

4. In the said rules, after Form 38, the following Forms shall be inserted, namely:-

———————

"FORM HR No. 38A

[See sub-rule (1) of rule 86A]

Form of application for license for operating as Operator or IT-based Passenger Aggregator

To

The State Transport Authority,
Transport Department, Haryana.

1. Name of the applicant in full (if a firm/company, details of registration/partners/proprietors to be furnished): _____

2. Full address of the applicant with contact details: _____

3. Details of office-in-charge of the applicant with contact No.: _____

4. Web-site address of the applicant: _____

5. Details of consent letters offered by the owners of public service vehicles, which are proposed to be operated under the services operated by the applicant (list detailing Vehicle Number, Permit Number, Name & Address of Permit Holder to be enclosed): _____

6. Particulars of any permit held under control of the applicant: _____

7. Proof regarding applicant's character: _____

8. Details of bank guarantee in favour of State Transport Authority (copy to be attached) : _____

9. Number of employees engaged by the applicant or proposed to be engaged for the business: _____

Signature of the applicant

FORM HR NO. 38A-I

[See sub-rule (3) of rule 86A]

Form of license for operator or IT-based Passenger Aggregator

License No:

1. Name of the licensee:_____
2. Address of the licensee: _____
3. Address of the office: _____
4. Date of issue: _____
5. Valid up to: _____
6. Number of employees, the licensee is permitted to engage: _____
7. The licensee shall follow the operational details given in the guidelines issued in terms of rule 86A of the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 (as amended).
8. The licensee is allowed to operate within the State as Operator or IT-based passenger aggregator in compliance with the conditions as laid down in the said guidelines.
9. The licensee shall also comply with the provisions of Motor Vehicles Act, 1988(Act 59 of 1988) and the rules made thereunder and the Information Technology Act, 2000(21 of 2000).

Competent Authority,
Transport Department, Haryana.".

S. S. DHILLON,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Transport Department.

54773—C.S.—H.G.P., Chd.